कार्यालय आदेश

कार्यालय के पत्र संख्या 615/वि0का0/र0का0/दिनांक 26.08.2024 के द्वारा दिव्याशु श्रीवास्तव तत्कालीन लेखपाल क्षेत्र रैपुरी तहसील सदर जनपद मीरजापुर को निलम्बित किया गया था। निलम्बन के उपरान्त श्री श्रीवास्तव को कार्यालय के पत्र संख्या 648/र0का0–आरोप पत्र दिनांक 15.10.2024 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसे अपचारी कर्मचारी द्वारा दिनांक 21.10.2024 द्वारा प्राप्त किया गया। आरोप पत्र प्राप्ति के उपरान्त अपचारी कर्मचारी द्वारा अपना लिखित स्पष्टीकरण/जवाब दिनांक 26.12.2024 को जांच अधिकारी तहसीलदार सदर मीरजापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जांच अधिकारी तहसीलदार सदर द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 30.12.2024 प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 30.12.2024 का अवलोकन व परीक्षण किया गया। अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव तत्कालीन लेखपाल क्षेत्र रैपुरी के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार पहाड़ी की जांच आख्या दिनांक 26.08.2024 एवं निर्गत आरोप पत्र दिनांक 15.10.2024 व तत्सम्बन्ध में जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 30.12.2024 का तुलनात्मक परीक्षणोपरान्त निम्नवत स्थिति पायी गयीः–

अपचारी कर्मचारी पर आरोप संख्या–1 अपचारी कर्मचारी पर प्रथम आरोप यह है कि दिनांक 26.08.2024 को आप द्वारा एक ग्रामीण को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के प्रतिकूल हैं। इस आरोप मे नायब तहसीलदार, पहाड़ी/शहर की आख्या दिनांक 26.08.2024 पाठनीय हैं। इस आरोप के सम्बंध में वायरल आडियों क्लिप आपके व्हाट्सएप नं0 7905087906 पर प्रेषित की गई हैं।

अपचारी कर्मचारी का स्पष्टीकरण– अपचारी कर्मचारी द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 26.08.2024 को प्रार्थी द्वारा किसी भी ग्रामीण को किसी की फोन/मोबाइल (दूरभाष) द्वारा किसी भी ग्रामीण से किसी प्रकार की बात नही कि गयी हैं, उक्त वायरल आडियों क्लिप जो मेरे मोबाइल नं0 पर भेजा गया हैं, के सम्बंध में सादर अवगत कराना हैं कि उक्त रिकार्डिंग दिनांक 23.08.2024 की हैं। उक्त आडियों रिकार्डिंग मे मेरे द्वारा इस तरह की कोई बात नही कि गयी हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में तकनीकी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की आवाज की हूबहू कापी करना बहुत कठिन कार्य नही है। आडियों रिकार्डिंग मे छेडछाड़ की गयी हैं जिसमें प्रार्थी कोई गलती नही हैं। प्रार्थी निर्दोष है।

जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर की जॉच आख्या–अवगत कराना है कि उत्तरा प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–1 शासनादेश अख्या 13.01.1997 का 1/97 दिनांक 9मई 1997 व शासनादेश 13.01.1997 का 1/2012 दिनांक 19 अप्रैल 2012 के आदेशानुसार शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र एवं समुचित साक्ष्य प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नही किया गया है। उपरोक्त शासनादेशों में लिखित अवस्था के अनुसार क,ख,ग, एवं घ के सरकारी सेवकों के विरूद्ध शपथ पत्र एवं साक्ष्य उपलब्ध न कराने की वजह से जॉच प्रकिया पूर्ण न हो सकी। अन्य ग्रामीणों द्वारा बयान लिया

गया जिसमें लेखपाल दिव्यांशु श्रीवास्तव का दोष प्रतीत नही होता है। अतः अपचारी कर्मचारी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नही होता है।

इस प्रकार आरोप संख्या–1 एवं उक्त के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव का स्पष्टीकरण तथा जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 30.12.2024 आपस में विरोधाभाषी है। ग्रामीणों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के विपरीत है। तत्समय रिपोर्टिंग अधिकारी/नायब तहसीलदार पहाड़ी द्वारा अपनी आख्या में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव द्वारा वायरल आडियो क्लिप में एक ग्रामीण से वार्ता के दौरान भ्रष्ट आचरण व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है एवं सरकारी कार्य के बदले अनुचित लाभ की मांग की गयी है। जहां तक सरकारी सेवक के आचरण का सम्बन्ध है, वहां यह कृत्य अत्यन्त निन्दनीय है। उ0प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अनवरत निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं कि सरकारी सेवक को जनता के प्रति अपना आचरण सौम्य व मर्यादित रखना है। किसी भी तरीके अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अनुचित लाभ प्राप्त करने, करने में सहयोग करना, किसी अन्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास कदाचार की श्रेणी में पाया जाएगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध कठोरं कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जहां तक आडियो क्लिप सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में तत्समय नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.08.2024 अति महत्वपूर्ण है। जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर द्वारा आडियो क्लिप का परीक्षण हेतु गवाहों के बयान, अपचारी कर्मचारी से कास परीक्षण एवं नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.08.2024 के सम्बन्ध में विधिवत परीक्षण कर अपनी जांच आख्या दिनांक 30.12.2024 प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो तथ्यों का सही विवेचना प्रतीत नहीं होती है। जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर द्वारा नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.008.2024 के क्रम में सम्बन्धित काश्तकार एवं ग्राम में अपचारी कर्मचारी द्वारा किये गये कार्यों का तर्कसंगत परीक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर आरोपों का विधिवत परीक्षण नहीं किया है। उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर को भविष्य के सचेत किया जाता है। प्रथमदृष्ट्या नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.'08.2024 के सम्बन्ध में कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/सुसंगत अभिलेखीय तथ्य जाचं अधिकारी/तहसीलदार सदर की आख्या में उल्लिखित नहीं है, जिससे यह कहना मुश्किल है कि नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या सतही स्तर की है। उक्त आख्या से स्वतः स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी श्री दिव्याशू श्रीवास्तव द्वारा प्रथमदृष्ट्या ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार का दोषी है। इस प्रकार आरोप संख्या–1 सिद्ध होता है।

<u>अपचारी कर्मचारी पर आरोप संख्या–2</u> अपचारी कर्मचारी पर प्रथम आरोप यह है कि आप द्वारा ग्रामीण से सरकारी कार्य के बदले उत्कोच की मांग की गई हैं जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के प्रतिकूल हैं, इस आरोप मे नायब तहसीलदार, पहाड़ी/शहर की आख्या दिनांक 26.08.2024 पाठनीय हैं इस आरोप

के सम्बंध में वायरल आडियों क्लिप आंपके व्हाट्सएप नं0 7905087906 पर प्रेषित की गई हैं।

<u>अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण–</u> अपचारी कर्मचारी द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 26.08.2024 को मेरे द्वारा किसी भी ग्रामीण को किसी की फोन/मोबाइल (दूरभाष) द्वारा किसी भी प्रकार की बात नही कि गयी हैं उक्त वायरल आडियों क्लिप जो मेरे मोबाइल नं0 पर भेजा गया हैं, के सम्बंध में सादर अवगत कराना हैं कि दिनांक 23.08.2024 की रिकार्डिंग हैं उक्त आडियों रिकार्डिंग मे मेरे द्वारा इस तरह की कोई बात नही कि गयी हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में तकनीकी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की आवाज की हूबहू कापी करना बहुत कठिन कार्य नही है। आडियों रिकार्डिंग मे छेडछाड़ की गयी हैं मेरे द्वारा किसी ग्रामीण से सरकारी कार्य के बदले किसी प्रकार की मांग नही कि गयी हैं, प्रार्थी निर्दोष हैं।

<u>जॉच अधिकारी/तहसीलदार सदर की जांच आख्याः–</u> अवगत कराना है कि अपचारी कर्मचारी दिव्यांशु श्रीवास्तव पर लगाया गया आरोप कि दूरभाष पर सरकारी कार्य के बदले उत्कोच की मांग की गयी है, जिसमें अपचारी कर्मचारी के स्पष्टीकरण तथा ग्रामीणों के बयान के आधार पर यह पाया गया उत्कोच जैसी कोई शिकायत नही है। चूंकि शिकायतकर्ता की शिकायत में कहां गया है कि सम्पूर्णवार्ता दूरभाष पर की गयी है और जॉच आख्या–1 में दिये गये शासनादेशों के अनुसार कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही है। अतः शिकायत निराधार है। अपचारी कर्मचारी पर दोष सिद्ध नही होता है। संलग्नकः शासनादेशों की कापी एवं बयान।

इस प्रकार आरोप संख्या–2 एवं उक्त के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव का स्पष्टीकरण तथा जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 30.12.2024 आपस में विरोधाभाषी है। ग्रामीणों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के विपरीत है। तत्समय रिपोर्टिंग अधिकारी/नायब तहसीलदार पहाड़ी द्वारा अपनी आख्या में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव द्वारा वायरल आडियो क्लिप में एक ग्रामीण से वार्ता के दौरान भ्रष्ट आचरण व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है एवं सरकारी कार्य के बदले अनुचित लाभ की मांग की गयी है। जहां तक सरकारी सेवक के आचरण का सम्बन्ध है, वहां यह कृत्य अत्यन्त निन्दनीय है। उ0प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अनवरत निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं कि सरकारी सेवक को जनता के प्रति अपना आचरण सौम्य व मर्यादित रखना है। किसी भी तरीके अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अनुचित लाभ प्राप्त करने, करने में सहयोग करना, किसी अन्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास कदाचार की श्रेणी में पाया जाएगा एव सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जहां तक आडियं क्लिप सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में तत्समय नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्य दिनांक 26.08.2024 अति महत्वपूर्ण है। जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर द्वार आडियो क्लिप का परीक्षण हेतु गवाहों के बयान, अपचारी कर्मचारी से कास परीक्ष

एवं नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.08.2024 के सम्बन्ध में विधिवत परीक्षण कर अपनी जांच आख्या दिनांक 30.12.2024 प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो तथ्यों का सही विवेचना प्रतीत नहीं होती है। जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर द्वारा नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.008.2024 के क्रम में सम्बन्धित काश्तकार एवं ग्राम में अपचारी कर्मचारी द्वारा किये गये कार्यों का तर्कसंगत परीक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर आरोपों का विधिवत परीक्षण नहीं किया है। प्रथमदृष्ट्या नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.'08.2024 के सम्बन्ध में कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/सुसंगत अभिलेखीय तथ्य जाचं अधिकारी/तहसीलदार सदर की आख्या में उल्लिखित नहीं है, जिससे यह कहना मुश्किल है कि नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या सतही स्तर की है। चूँकि आडियो क्लिप की ध्वनि के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी एवं जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह आरोप पूर्ण रूप से तभी सिद्ध होता, जब इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता अपना बयान दर्ज कराता। फिर भी नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.08.2024 से स्वतः स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव का उपरोक्त आचरण उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के विपरीत है। इस प्रकार आरोप संख्या–2 सिद्ध होता है।

<u>अपचारी कर्मचारी पर आरोप संख्या–3</u> अपचारी कर्मचारी पर प्रथम आरोप यह है कि सम्मानित जनप्रतिनधि द्वारा जब आपके इस आचरण के बावत् जानकारी मांगी गई तब आपका जवाब बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व अनुशासनहीन रहा। इस आरोप में नायब तहसीलदार, पहाड़ी/शहर की आख्या दिनांक 26.08.2024 पठनीय हैं।

<u>अपचारी कर्मचारी का स्पष्टीकरण–3</u> अपचारी कर्मचारी द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में उल्लिखित किया गया है कि सम्मानित जनप्रतिनिधि द्वारा जो भी जानकारी मांगी गई हैं उसे नियमानुसार मेरे द्वारा माननीय जनप्रतिनिधि को दी गयी हैं किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नही की गई हैं, प्रार्थी निर्दोष हैं।

<u>जॉच अधिकारी/तहसीलदार सदर की जांच आख्या–</u> अवगत कराना है कि अपचारी कर्मचारी पर आरोप है। कि वह उक्त प्रकरण में मा0 जनप्रतिनिधि के साथ दूरभाष और जिम्मेदाराना एवं अनुशासनहीनता पूर्वक सूचना दी। अपचारी कर्मचारी के स्पष्टीकरण तथा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न होने स अपचारी कर्मचारी पर दोष सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी पर लगाया गया कोई आरोप सिद्ध नहीं है।

अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव तत्कालीन लेखपाल क्षेत्र रैपुरी द्वार ग्रामीणों के साथ अभद्र भाषा प्रयोग किये जाने का प्रारम्भिक रूप से साक्ष्य होने व कारण दोषी प्रतीत होता है। उक्त के सम्बन्ध में मा0 जनप्रतिनिधियों के साः दूरभाष पर गैर जिम्मेदारीपूर्वक बात करना विपरीत आचरण की श्रेणी में आता है चूँकि उक्त आचरण टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में है इसलिए यह भाषा आपस में कि आधार पर प्रयोग की गयी है, यह जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर की आख्या

स्पष्ट नहीं हो रहा है। आरोप पत्र दिनांक 15.10.2024 एवं नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.08.2024 से स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव तत्कालीन लेखपाल क्षेत्र रैपुरी द्वारा प्रथमदृष्ट्या अभद्र भाषा के प्रयोग का दोषी है। चूँकि इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों से जांच अधिकारी द्वारा विधिवत परीक्षण नहीं किया गया है, जिससे तकनीकी रूप से भाषाओं के सदुपयोग के सम्बन्ध में स्थिति अपूर्णता की श्रेणी में आती है। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव तत्कालीन लेखपाल क्षेत्र रैपुरी के ऊपर लगाया गया यह आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होना प्रतीत होता है।

अतिरिक्त कथन

अतः शासनादेश संख्या 13.10.1997–का 1/97 दिनांक 9 मई 1997 व शासनादेश संख्या 13.01.1997–का दिनांक 01 अगस्त 1997 व शासनादेश संख्या 13.01.1997–का दिनांक 19 अप्रैल 2012 के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र एवं समुचित साक्ष्य देना आवश्यक है, परन्तु शिकायतकर्ता को समय देने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। ग्रामीणों के बयान एवं अपचारी कर्मचारी के स्पष्टीकरण के जवाब के स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी दोषी नहीं है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 30.12.2024 का परिशीलन किया गया, जिसमें पाया गया कि अपचारी कर्मचारी द्वारा दिनांक 26.08.2024 को एक ग्रामीण को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के प्रतिकूल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल आडियो को भी सुना गया, जिसमें अपचारी कर्मचारी द्वारा अपनी आवाज में एक ग्रामीण को अपशब्द बोला जा रहा है, परन्तु जांच अधिकारी तहसीलदार सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 30.12.2024 में अपचारी कर्मचारी पर उक्त आरोप सिद्ध होना नहीं पाया गया। तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिवत परीक्षणोंपरान्त निम्नवत स्थिति पायी गयीः–

इस प्रकार आरोप संख्या–1, 2 व 3 एवं उक्त के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव का स्पष्टीकरण तथा जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 30.12.2024 आपस में विरोधाभाषी है। ग्रामीणों का अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के विपरीत है। तत्समय रिपोर्टिंग अधिकारी/नायब तहसीलदार पहाड़ी द्वारा अपनी आख्या में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि अपचारी कर्मचारी श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव द्वारा वायरल आडियो क्लिप में एक ग्रामीण से वार्ता के दौरान भ्रष्ट आचरण व अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है एवं सरकारी कार्य के बदले अनुचित लाभ की मांग की गयी है। जहां तक सरकारी सेवक के आचरण के सम्बन्ध है, वहां यह कृत्य अत्यन्त निन्दनीय है। उ0प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अनवरत निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं कि सरकारी सेवक को जनता के प्रति अपना आचरण सौम्य व मर्यादित रखना है। किसी भी तरीके अभद्र भाषा का प्रयोग नह

करना है। अनुचित लाभ प्राप्त करने, करने में सहयोग करना, किसी अन्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास कदाचार की श्रेणी में पाया जाएगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जहां तक आडियो क्लिप सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में तत्समय नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.08.2024 अति महत्वपूर्ण है। जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर द्वारा आडियो क्लिप का परीक्षण हेतु गवाहों के बयान, अपचारी कर्मचारी से क्रास परीक्षण एवं नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.08.2024 के सम्बन्ध में विधिवत परीक्षण कर अपनी जांच आख्या दिनांक 30.12.2024 प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो तथ्यों का सही विवेचना प्रतीत नहीं होती है। जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर द्वारा नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.008.2024 के कम में सम्बन्धित काश्तकार एवं ग्राम में अपचारी कर्मचारी द्वारा किये गये कार्यों का तर्कसंगत परीक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी/तहसीलदार सदर आरोपों का विधिवत परीक्षण नहीं किया है। प्रथमदृष्ट्या नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या दिनांक 26.'08.2024 के सम्बन्ध में कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/सुसंगत अभिलेखीय तथ्य जाचं अधिकारी/तहसीलदार सदर की आख्या में उल्लिखित नहीं है, जिससे यह कहना मुश्किल है कि नायब तहसीलदार पहाड़ी की आख्या सतही स्तर की है।

नायब तहसीलदार पहाड़ी की जांच आख्या 26.08.2024 से स्वतः स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी श्री दिव्याशू श्रीवास्तव द्वारा प्रथमदृष्ट्या ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार का दोषी है। इस प्रकार आरोप संख्या–1 व 2 पूर्ण सिद्ध होता है एवं आरोप संख्या 3 आंशिक सिंद्ध होता है।

अतः श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव तत्कालीन लेखपाल क्षेत्र रैपुरी तहसील सदर जनपद मीरजापुर को उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 में दिये गये बृहद दण्ड की श्रेणी में उल्लिखित दण्डों में निम्नवत दण्ड के साथ सेवा में बहाल किया जाता है–

1. निलम्बन अवधि का वेतन अदेय किया जाता है।
2. श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव तत्कालीन लेखपाल क्षेत्र रैपुरी तहसील सदर जनपद मीरजापुर की एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकी जाती है।
3. श्री दिव्यांशू श्रीवास्तव तत्कालीन लेखपाल क्षेत्र रैपुरी तहसील सदर जनपद मीरजापुर द्वारा दिनांक 26.08.2024 को ग्रामीण के साथ आडियो क्लिप में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए श्री श्रीवास्तव को परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की जाती है।

(गुलाब चन्द्र–द्वितीय)
दण्डाधिकारी/उप जिलाधिकारी सदर
मीरजापुर।

श्री योगी एम0पी0 सिंह
सुरेकापुरम कालोनी, बयुआ
मीरजापुर।

पंजीकरण संख्या DMOMR/R/2024/60085 नाम योगी एम पी सिंह दाखिल करने की तिथि 24/08/2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पाँच बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, जो निम्नवत् है:-

बिन्दु संख्या	प्रश्न	उत्तर
1	The matter concerns the misconduct and corruption concerning the staff of Tehsil Sadar so provide the action taken report on the representation of the aggrieved applicant submitted before the sub divisional magistrate sadar attached to this RTI application as second page. It is noticeable that conversation records are available to the aggrieved applicant.	सम्बन्धित लेखपाल द्वारा मोबाइल पर वार्ता में अमर्यादित भाषा का उपयोग किये जाने पर विभागीय कार्यवाही करते हुए निलम्बित किया गया। वर्तमान में विभागीय कार्यवाही के उपरांत निलम्बन अवधि का वेतन रोका गया गया है व परिनिंदा प्रतिकूल प्रविष्टि व एक वर्ष वेतन वृद्धि की कार्यवाही करते हुए बहाल कर दिया गया है।
2	The first page of the attached pdf document is the representation of the aggrieved applicant addressed to the district magistrate Mirzapur so provide the notings made on it and action taken report as it will be forwarded to sub divisional magistrates sadar because he is the competent authority to take action in the matter.	बिन्दु संख्या–2 का उत्तर 1 मे निहित है।
3	The third page of the attached pdf document is the representation of the aggrieved applicant addressed to the chief Minister Government of Uttar Pradesh so provide the notings made on it and action taken report as it will be forwarded to sub divisional magistrates sadar finally through district magistrate Mirzapur because he is the competent authority to take action in the matter.	बिन्दु संख्या–3 का उत्तर 1 मे निहित है।
4	Please provide the name and designation of the staff who are processing these representations of the aggrieved applicants in the office of subdivisional magistrates sadar, Mirzapur.	बिन्दु संख्या–4 का उत्तर 1 मे निहित है।
5	Whether the audio record available to the aggrieved applicant has been examined by the staff of the Tehsil Sadar concerning the misconduct and corruption in the working of the Tehsil if not why. Right to reason is the indispensable part of a sound administrative system so please provide the reason for it.This implies that representations of the people is not an integral part of the documents of the Tehsil Sadar which is the Root Cause Tehsildar Sadar is saying that to provide information concerning the representations of the aggrieved applicant, he will have to collect new fresh data.As per setup norms and according to available law of land representations of the people are properly tabulated and collated by the public parties concerned in this largest democracy in the world.This is a humble request to the most respected Sir, please direct the public information officer to provide information to the appellant point wise as sought as well as initiate disciplinary proceedings against the public information officer for violating the subsection 1 of section 7 right to information act 2005.	उ0प्र0 सूचना का अधिकार अधिनियम–2015 के नियम 4(2) (B) (iv) के तहत होने के कारण देय नहीं है।

तहसीलदार सदर/
जनसूचना अधिकारी
मीरजापुर